बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु०ग्रा०(नि०) यो०म०से० 29/2025 – 1189   पटना, दिनांक 30.03.25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, उप शीर्ष–0122, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0122–53–01–V के अन्तर्गत बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण, सिवान, बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, सासाराम, पटना, पूर्वी चम्पारण एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बेतिया, सिवान–2, तेघड़ा, जयनगर, खड़गपुर–तारापुर, मंझौलबखरी, सासाराम–1, डेहरी, महाराजगंज, पटना, रक्सौल, गोपालगंज–1 एवं बेगूसराय में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल तैंतीस (33) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, उप शीर्ष–0122, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0122–53–01–V के अन्तर्गत बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण, सिवान, बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, सासाराम, पटना, पूर्वी चम्पारण एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बेतिया, सिवान–2, तेघड़ा, जयनगर, खड़गपुर–तारापुर, मंझौलबखरी, सासाराम–1, डेहरी, महाराजगंज, पटना, रक्सौल, गोपालगंज–1 एवं बेगूसराय में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल तैंतीस (33) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई **1055.29** मी० एवं निर्माण की कुल राशि 23150.455 लाख (दो सौ इकतीस करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ रुपया मात्र) है–हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट–1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख रु० में)	अनुरक्षण मद की राशि (लाख रु० में)	कंटिजेंसी की राशि (लाख रु० में)	प्रशासनिक मद की राशि (लाख रु० में)	भूमि अधिग्रहण की राशि (लाख रु० में)	कुल राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Betia	Majhaulia	Majhauliya block antargat Vishambharpur panchayat me jaganathpur se agrava jane bali sadak me Dhanauti nadi par naye pul ka nirman karya.	60.75	581.357	2.915	5.843	13.145	0.000	603.260
2	Betia	Majhaulia	Majhauliya block antargat Lalsraiya ke Ward No. 16 me Sera par mahadalit basti se Vishunbhra mahadalit gaon ko jorne bali Dhanauti nadi par pul ka nirman karya.	60.75	591.873	2.862	5.943	13.382	0.000	614.060
3	Betia	Yogapatti	Yogapatti antargat Sisva Mangalpur pachayat antargat Gandak nadi me pul nirman karya.	93.16	1168.830	3.351	9.753	22.006	0.000	1203.940
4	Siwan-2	Hussainganj	T02 to Barka tola	60.48	826.446	12.741	8.392	18.883	111.198	977.660
5	Siwan-2	Ziradei	Const. of Bridge on Sona river between Mahmudpur-Bandhuhata	68.48	784.712	13.117	7.978	17.953	0.000	823.760
6	Siwan-2	Mairwa	Bedauli to Chhotka manjha	34.26	483.143	5.698	4.888	10.999	0.000	504.728
7	Teghra	Bachwara	L034 House of Baidhnath Jha to Sarkari Ghat Balan	96.80	882.430	3.040	8.850	19.920	29.780	944.020
8	Teghra	Bhagwanpur	Suryapura Chowk to Cheriya via Karrampur (Birpur-Sanjat PWD) Road abm Jagdishpur Buchouli Road ke Suryapura gaon ke najdik Gupharu Baiti nadi par pul)	68.44	691.210	2.080	6.930	15.600	24.710	740.530

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Teghra (Begusarai)

CamScanner

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के संबंधित अधीक्षण अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति सक्षम प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०(नि०) मु०मं०से०–29/2025 के पृष्ठ संख्या– 16/टि० पर प्राप्त है।
10. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०) मु०मं०से०–59/2025 के पृष्ठ संख्या–21/टि० पर दिनांक 28.03.2025 को प्राप्त है।
11. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर STA के Technical Vetting के उपरांत ही उच्च स्तरीय पुलों की प्रावैधिक स्वीकृति कराना सुनिश्चित करेंगें।
18. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।
19. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

प्रेम कुमार मौर्य

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

Lord Krishna Consultancy Pvt. Ltd.
LKC

CamScanner